न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 3/2024
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

– प्रार्थी

बनाम

विकास अधिकारी पंचायत समिति किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ग्रामीण।

– अप्रार्थी

4. निर्णय दिनांक : 28/03/2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) सरकार पैरोकार प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री हुनमान प्रसाद चौधरी अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर. एक्ट इन्द्राज दुरुस्ती

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर. एक्ट में अंकित किया गया है कि मुताबिक सेटलमेंट खतौनी ग्राम तुरक्यावास तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ग्रामीण (राज०) सम्वत 2011–2029 के आराजी खसरा नं0 41 रकबा 62 बीघा 8 बिस्वा किस्म बंजड़ अव्वल 50 बीघा गै०मु० तलाई 12 बीघा 8 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी अंकित है। उक्त भूमि जमाबंदी सम्वत 2048–2051 में आराजी खसरा न० 41/6 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा किस्म गै०मु० तलाई राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 251 दिनांक 08–06–1992 के द्वारा खसरा नं0 41/6 में से बीघा भूमि गै०मु० आबादी हेतु आवंटन की गई जो कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मूल आराजी खसरा नं0 41/6 रकबा 1.8715 हेक्टेयर किस्म गै०मु० तलाई एवं खसरा नं० 224/41 रकबा 1.2645 हेक्टेयर किस्म गै०मु० आबादी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त संबंधित भूमि मुताबिक सेटलमेंट खतौनी किस्म बजड अव्वल 50 बीघा गै०मु० तलाई 12 बीघा 8 बिस्वा दर्ज थी, जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब, नाड़ी, तलाई, जलाशयों की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार प्रभूत नही होते है। डीवी सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02–08–2004 के अनुसरण मे उक्त खातेदारी निरस्त हेतु रेफरेंस प्रकरण तैयार किया गया है। जिसके अनुसार उक्त भूमि वापस बन्दोबस्त अभिलेख के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होना अपेक्षित है। अति० कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट जयपुर के पत्रांक राजस्व–5/कि० रेनवाल/07/2024/3540 दिनांक 01–10–2024 के द्वारा गै०मु० तलाई (जलमग्न या पानी के नीचे डूबी हुई भूमि) में से गै०मु० आबादी में गलत आवंटन का रेफरेंस प्रस्तुत करने हेतु सक्षम न्यायालय में रेफरेंस प्रस्तुत करने निर्देश की पालना में रेफरेंस प्रकरण तैयार किया गया।

रेफरेंस प्रार्थना पत्र के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी संवत 2072–76, नामान्तकरण संख्या 251 की प्रतिलिपि, खसरा गिरदावरी एवं नक्शा की प्रतिलिपि एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात संलग्न किये हैं।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण के संदर्भ मे रिकार्ड मगवाया गया। ग्राम पंचायत लुणियावास ने अपने पत्रांक 115 दिनांक 24.10.2024 में उक्त रिकार्ड के उपलब्ध नहीं होने का अंकन किया है। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद चौधरी की ओर से वकालतनामा पेश किया गया।

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने अपने पत्रांक 914 दिनांक 27.02.2025 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें अंकित है कि ग्राम तुरक्यावास के विवादित आराजीयात खसरा नं0 41 रकबा 62 बीघा 8 बिस्वा में से 5 आवंटन 5 काश्तकारों को प्रत्येक को 10 बीघा कुल रकबा 50 बीघा का आवंटन दिनांक 11.06.1968 को हुये थे। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 16 के अन्तर्गत गै0मु0 तलाई है, जिसका आवंटन प्रतिबंधित श्रेणी में है। नामान्तकरण संख्या 251 अनुसार उक्त भूमि में 5 बीघा भूमि का आवंटन तहसील फुलेरा (भू0अ0) मु0 सांभर के आदेश क्रमांक भू0अ0/91/3184 दिनांक 07.07.1991 की अनुपालना में दर्ज किया गया। ग्राम पंचायत लुणियावास द्वारा प्रश्नगत भूमि 41/6 में कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। गत खसरा नं0 41/6/1 जिसके हाल खसरा नं0 224/41 रकबा 1.2645 है0 में मौके पर भंवर पुत्र मालसिंह कौम दरोगा निवासी तुर्कियावास, देवाराम पुत्र रेखाराम कौम जाट निवासी तुर्कियावास, धर्मपाल पुत्र रतीराम कौम जाट निवासी तुर्कियावास, एक पानी की टंकी ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित एवं एक ग्रेवल सडक बनी हुई है व आराजी खसरा नं0 41/4 रकबा 2.5290 है0 में से एक डामर सडक गुजर रही है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.3200 है0 है व खसरा नं0 41/5 रकबा 2.5290 है0 में 0.3949 है0 भूमि में डामर सडक बनी हुयी है व एक विश्राम गृह बना हुआ है जिसका क्षेत्रफल 0.0800 है0 भूमि पर है। शेष भूमि पर अन्य व्यक्तियों का अतिक्रमण है। कब्जेधारियों द्वारा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय के प्रकरण संख्या 10/2018 एवं 34/2018 निर्णय दिनांक 26.06.2024 द्वारा प्रकरण में 14(4) के तहत प्रकरण तैयार कर भिजवाने के निर्देशों की पालना में प्रकरण कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत मौके पर खातेदारी निरस्त करने हेतु प्रकरण तैयार कर भिजवाये गये हैं। उक्त 62 बीघा 8 बिस्वा में से 7 बीघा भूमि मौके पर खाली पडी है। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल की पत्रावली की आख्या अनुसार प्रकरण उच्च न्यायालय में चल रहा है।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने कथन किया कि ग्राम तुरक्यावास तहसील किशनगढ रेनवाल सम्वत 2011–2029 के आराजी खसरा नं0 41 रकबा 62 बीघा 8 बिस्वा किस्म बंजड़ अव्वल 50 बीघा गै०मु० तलाई 12 बीघा 8 बिस्वा सिंचायचक बिना लगानी दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2048–2051 में आराजी खसरा नं० 41/6 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा किस्म गै०मु० तलाई राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 251 दिनांक 08–06–1992 के द्वारा खसरा नं0 41/6 में से बीघा भूमि गै०मु० आबादी हेतु आवंटन की गई। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मूल आराजी खसरा नं0 41/6 रकबा 1.8715 हैक्टेयर किस्म गै०मु० तलाई एवं खसरा नं० 224/41 रकबा 1.2645 हैक्टेयर किस्म गै०मु० आबादी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि गै०मु० तलाई 12 बीघा 8 बिस्वा दर्ज थी, जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब, नाड़ी, तलाई, जलाशयों की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते है। जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02–08–2004 के

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अनुसरण में उक्त खातेदारी निरस्त हेतु रेफरेंस प्रकरण तैयार किया गया। नामान्तकरण संख्या 251 अनुसार उक्त भूमि में 5 बीघा भूमि का आवंटन तहसील फुलेरा (भू0अ0) मु0 सांभरलेक आदेश क्रमांक भू0अ0/91/3184 दिनांक 07.07.1991 की अनुपालना में दर्ज किया गया। ग्राम पंचायत लुणियावास द्वारा प्रश्नगत भूमि 41/6 में कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। गत खसरा नं0 41/6/1 जिसके हाल खसरा नं0 224/41 रकबा 1.2645 है0 में मौके पर भंवर पुत्र मालसिंह कौम दरोगा निवासी तुर्कियावास, देवाराम पुत्र रेखाराम कौम जाट निवासी तुर्कियावास, धर्मपाल पुत्र रतीराम कौम जाट निवासी तुर्कियावास, एक पानी की टंकी ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित एवं एक ग्रेवल सडक बनी हुई है। अतः उक्त भूमि का नियम विरूद्ध आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि सेटलमेंट से पूर्व उक्त भूमि खातेदारी मे दर्ज थी। नामान्तकरण संख्या 251 दिनांक 08–06–1992 के द्वारा खसरा नं0 41/6 में से बीघा भूमि गै०मु० आबादी हेतु आवंटन की गई। ग्राम सभा दिनांक 26/02/2024 में प्रस्ताव संख्या 17 में ग्राम तुरक्यावास के खसरा नंबर 224/41 के गै0मु0 आबादी को रा0उ0प्रा0 विद्यालय तुरक्यावास एवं अन्य राजकीय भवन के लिए आरक्षित की जाए। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस ग्राम तुर्कियावास के खाता स० 165 में घीसा पुत्र तेजा के नाम खसरा नं0 41/5 रकबा 2.5290 है० किस्म बारानी 3 दर्ज है। नामान्तरण संख्या 32 दिनांक 11.06.1968 को तत्समय आवंटित भूमि का मूल खसरा नं0 41 रकबा 62 बीघा 08 बिस्वा में से 50 बीघा किस्म बंजर अव्वल एवं 12 बीघा 08 बिस्वा गै0मु0 तलाई दर्ज थी। जिसमें से कुल पांच व्यक्तियों को भूमि आवंटन हुई थी। न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय द्वारा कुल 3 आवंटियों का आवंटन निरस्त हो जरिये नामान्तकरण संख्या 659, 991, 992 द्वारा निरस्त होकर जमाबन्दी में अमल दरामद हो गया है। मूल खसरा नंबर 41 रकबा 62 बीघा 8 बिस्वा में से 5 आवंटियों को 10–10 बीघा भूमि गैर खातेदारी दर्ज हुयी, जिसकी किस्म बंजर अव्वल थी। शेष भूमि 12 बीघा 8 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई रही। आराजी खसरा नंबर 41 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई में से जरिये नामान्तकरण संख्या 251 के द्वारा 5 बीघा भूमि गै0मु0 आबादी दर्ज हुयी, शेष भूमि 7 बीघा 8 बिस्वा गै0मु0 तलाई दर्ज हुयी। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 16 के अंतर्गत गै0मु0 तलाई है, जिसका आवंटन प्रतिबंधित श्रेणी में है। वर्तमान में खसरा नंबर 224/41 रकबा 1.2645 गै0मु0 आबादी ग्राम पंचायत लुणियावास के नाम दर्ज है तथा खसरा नंबर 41/6 रकबा 1.8715 किस्म गै0मु0 तलाई जलमग्न भूमि दर्ज रिकार्ड है। खसरा नंबर 41/5 रकबा 2.5290 है0 घीसा पुत्र तेजा के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है जिस पर खातेदारों का कब्जाकाश्त नहीं है तथा खसरा गिरदावरी अनुसार आवंटियों द्वारा आवंटन होने के पश्चात काश्त नहीं की गयी है। मौके पर उक्त भूमि पडत है एवं पानी भराव की स्थिति नहीं है। अतः खसरा नंबर 41/5 में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है।

पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस के समर्थन में तहसीलदार फुलेरा के अलॉटमेंट आदेश दिनांक 11.06.1968 न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के प्रकरण संख्या 182/83 निर्णय दिनांक 03.09.1969 तथा प्रकरण संख्या 182/68 निर्णय दिनांक 03.09.1969, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के प्रकरण संख्या 2/95 निर्णय दिनांक 25.11.1995, अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय के प्रकरण संख्या 76 से 80 निर्णय दिनांक 14.07.1997, राजस्व अपील

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अधिकारी के निर्णय दिनांक 05.08.1997, राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 19.08.1998, मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.08.2005, अति0 जिला कलक्टर चतुर्थ, जयपुर के प्रकरण संख्या 328/2005 निर्णय दिनांक 08.09.2006, मा0 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेंस संख्या 5625/2006 निर्णय दिनांक 14.03.2012, मा0 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेंस संख्या 5635/2006 निर्णय दिनांक 18.04.2012 एवं इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 10/2018 तथा 34/2018 निर्णय दिनांक 26.06.2024 की प्रति पेश की है।

पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन के अनुसार विवादित भूमि वर्तमान में रिसीवरी में चल रही है।

प्रकरण में ग्राम जनता तुर्कियावास द्वारा एक अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार फुलेरा दिनांक 11.06.1968 व 20.01.1969 बाबत अलाटमेंट भूमि खसरा नं0 144, 146–41–22 वाके ग्राम तुर्कियावास न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में पेश की गयी। जिसका मुकदमा नं0 182183 दर्ज हुआ। उक्त प्रकरण में निर्णय दिनांक 03.09.1969 को पारित किया गया। निर्णयानुसार "अलाटमेंट की कुल कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है और यह सिद्ध है कि यह सब कार्यवाही ग्रामवासियों को छिपाकर बगैर सोचे विचारे व नियमों की अनुपालना पूर्ण किये हुये की गयी है। अतः उपरोक्त कारणों की बिनाय पर में हर दो अपीलें स्वीकृत कर तहसील द्वारा जो भूमि आवंटन आदेश दिये गये हैं उसको निरस्त करता हूं और पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय इस आदेश से लौटाता हूं के तहसीलदार अगर अलाटमेंट करने हेतु भूमि है तो उस पर भूमि आवंटन नियमों की पूरी तरह से पालना व पूर्ति कर निर्णय दे। आज्ञा सुनायी गयी तारीख 03.09.69"

प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 41 रकबा 62 बीघा 08 बिस्वा के क्रम में एक 14(4) का प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय, जयपुर के न्यायालय में ग्रामवासियों द्वारा पेश किये गये थे। प्रार्थना पत्र संख्या 76 से 80 में न्यायालय अति0 जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा जारी निर्णय दिनांक 14/07/1997 में "अप्रार्थीगण का भूमि पर कब्जा नहीं रहा है एवं वाद भूमि आम जनता के उपयोग में आती रही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार फुलेरा द्वारा किया गया आवंटन दिनांक 11/06/1968 निरस्त किया जाता है।"

उक्त भूमि के आवंटियों द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय, जयपुर के निर्णय दिनांक 14/07/97 के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में प्रस्तुत अपील में निर्णय दिनांक 05.08.1997 द्वारा अपील स्वीकार कर उक्त भूमि का आवंटन बहाल रखा गया।

उक्त भूमि के क्रम में राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 05.08.1997 के विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील प्रस्तुत किये जाने पर उनके निर्णय दिनांक 19.08.1998 द्वारा अपील को खारिज किया जा कर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 05.08.1997 को यथावत रखा गया।

उक्त भूमि के क्रम में राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 19.08.1998 के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अन्य जनता द्वारा प्रस्तुत एस0बी0सिविल पीटिशन संख्या 2399/1999 के निर्णय दिनांक 11.08.2005 में राजस्व अपील प्राधिकारी को पुनः दोनों

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

पक्षो को सुना जाने एवं याचिकाकर्ताओं को राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील में स्वतः ही पक्षकार माना जाने के आदेश पारित हुये।

उक्त भूमि के क्रम में तहसीलदार द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 82 एल.आर.एक्ट इन्द्राज दुरूस्ती बाबत खसरा नं0 41/5 रकबा 10 बीघा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ, जयपुर के न्यायालय में पेश किया। जिसमें निर्णय दिनांक 08.09.2006 में निर्णय पारित करते हुए निर्देश दिये कि उक्त भूमि गै0मु0 तलाई दर्ज है जिसका आवंटन प्रतिबंधित है। अतः तहसीलदार माननीय राजस्व मण्डल में नियमानुसार रेफरेन्स प्रस्तुत करें।

उक्त भूमि खसरा नं0 41/2 रकबा 10 बीघा के संबंध में तहसीलदार द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र 5625/2006 पेश किया गया जिसके निर्णय दिनांक 14.03.2012 में उक्त भूमि में से आवंटन भूमि ख0नं0 41/2 रकबा 10 बीघा को सिवायचक गै0मु0 तलाई दर्ज करने का आदेश तहसीलदार फुलेरा को दिया गया। न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह भी अंकित किया है कि "यह न्यायालय इस तथ्य के प्रति भी जागरुक है कि इस निर्णय से अप्रार्थी के अधिकार प्रतिकूल रुप से प्रभावित होंगे। अतः यह न्यायालय इस प्रकरण में संबंधित उपखण्ड अधिकारी को यह निर्देश देना भी उचित समझता है कि प्रश्नगत भूमि पर अस्थाई काश्त हेतु अप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व (अस्थाई काश्त हेतु तालाब पेटे की भूमि का आवंटन) नियम 1961 के अन्तर्गत नियमानुसार आवंटन किये जाने पर विचार किया जावे जिसमें उसकी रोजी–रोटी प्रतिकूल रुप से प्रभावित नहीं हो"

उक्त भूमि खसरा नं0 41 में से खसरा नं0 41/1 रकबा 10 बीघा भूमि के संबंध में एक अन्य रेफरेंस संख्या 5635/2006 उनवान सरकार बनाम बालू माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में निर्णय दिनांक 18.04.2012 में रेफरेंस स्वीकार कर आवंटन एवं अन्य सभी अंकन निरस्त किया जाकर विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में पुनः राजकीय गै0मु0 तलाई दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये।

उक्त भूमि खसरा नं0 41 में से दो आवंटन के विरुद्ध तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत धारा 82 इन्द्राज दुरुस्ती प्रार्थना पत्र संख्या 34/2018 एवं 10/2018 के संबंध में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2024 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन 14(4) के श्रेणी में होना बताते हुये नियमानुसार 14(4) प्रार्थना पत्र पेश करने के निर्देश दिये गये। उक्त आदेश के अनुसरण में तहसीलदार द्वारा यह 14(4) के दो प्रकरण इस न्यायालय में पेश किये गये।

हमने सम्मानपूर्वक सभी न्यायालयों के निर्णयों को पढा, पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। निष्कर्ष यह है कि ग्राम तुर्कियावास के खसरा नं0 41 रकबा 62 बीघा 8 बिस्वा भूमि बंजड में से 10–10 बीघा किस्म बंजड अव्वल भूमि क्रमश घीसा पुत्र तेजा, काना पुत्र तेजा, मूला पिता चिमना, भूरा पुत्र भोलू एवं बालू पुत्र रुडा को अलॉट हुयी। शेष 12 बीघा 8 बिस्वा भूमि किस्म गै0मु0 तलाई भू–प्रबंध विभाग सैटलमेंट खतौनी संवत 2011–29 में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार तीन प्रकरण तहसीलदार किशनगढ रेनवाल रेफरेन्स संख्या एल.आर/5625/2006, एल.आर/5635/2006 एवं एल.आर/5639/2006 प्रस्तुत किये। संबंधित भूमि खसरा नं0 41/1, 41/2 एवं 41/3 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भूमि को गै0मु0 तलाई बताते हुये आवंटन निरस्त किये गये हैं। यद्यपि उक्त तीनों आवंटन बंजड भूमि में किए गए थे तथा 02 रेफरेंस प्रकरण एल.आर/5634/2006 एवं एल.आर/1342/2007 में क्रमश दिनांक 28/06/2013 एवं 05/03/2013 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने रिमाण्ड करते हुए पुनः परीक्षण

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

पश्चात निर्णय पारित करने के निर्देश दिये। शेष भूमि खसरा नं0 41/6 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा जमाबंदी संवत 2048-49 में गै0 मु0 तलाई दर्ज रिकार्ड है। जिसमें से 5 बीघा भूमि ग्राम पंचायत को आबादी हेतु आवंटन की गयी जो कि गै0मु0 तलाई आरटीए की धारा 16 में प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने योग्य पाया गया।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं खसरा गिरदावरी की नकलों के अनुसार उक्त भूमि जमाबंदी सम्वत 2048–2051 में आराजी खसरा नं० 41/6 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा किस्म गै०मु० तलाई राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसका नामान्तकरण संख्या 251 दिनांक 08-06-1992 के द्वारा उक्त भूमि गै०मु० आबादी हेतु आवंटित की गई, जिसके वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मूल आराजी खसरा नं0 41/6 रकबा 1.8715 हैक्टेयर किस्म गै०मु० तलाई एवं खसरा नं० 224/41 रकबा 1.2645 हैक्टेयर किस्म गै०मु० आबादी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब, नाडी, तलाई, जलाशयों की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नही होते है, जिसका आवंटन किसी भी व्यक्ति को नियमों में प्रतिबंधित है।

इससे स्पष्ट है कि कृषि भूमि आवंटन की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02/08/2004 की पालना में तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा खसरा संख्या 41/6 के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेन्स किया जाता है। प्रकरण नियमानुसार रेफरेन्स हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर